

1-5-2017

आज पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्ट महुवायुर्द में पेय हुई।
शादिया उषण प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3, उषण कादिया एवं प्रतिवादीगण
ने राजीनामा प्र पत्र पेय कर, मूल वाद को आगे नही चलाने का
NOT press में स्वारिज किया जा चुका है।

अतः शादिया का वाद प्र. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI के
का NOT press में स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फॉसल शुमार लेकर नम्बर से कर लेकर इम्बर डीप्ल
है।

~~...~~
संवानिवृत तहसीलदार
बैंच सदस्य
स्व लोक अदालत

~~...~~
एडवोकेट
बैंच सदस्य
राजस्व अदालत

~~...~~
सहायक कलक्टर
बालवर

RTI रविना

पत्रावली का, ली

~~...~~
(22/5/2017)



शुप

का

~~...~~
[लोकेश प्रीता]
पत्रावली